संख्या:90/2020/2172 ई-2/तेरह-2020-38/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इटावा/जालौन/झांसी/ललितपुर एवं आगरा।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 13 अक्टूबर, 2020

विषय:- मध्य प्रदेश राज्य में विधान सभा उप निर्वाचन-2020 में मतदान तथा मतगणना दिवस पर शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-738/सी.ई.ओ.-2-08/2-2019, दिनांक 09.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ भारत निर्वाचन आयोग का पत्र दिनांक 01.10.2020 संलग्न कर प्रेषित करते हुए मध्य प्रदेश राज्य में विधान सभा उप निर्वाचन-2020 हेतु मतदान दिवस 03.11.2020 तथा मतगणना दिवस 10.11.2020 को मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में मद्यनिषेध दिवस घोषित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए व कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र जहाँ विधानसभा उप निर्वाचन-2020 निर्धारित है में लोक शान्ति बनाये रखने, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और निर्विघ्न निर्वाचनों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135(ग) के प्राविधानों के अनुसार उन क्षेत्रों से लगे अपने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में मतदान दिवस 03.11.2020 को मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना दिवस 10.11.2020 को शुष्क दिवस (**Dry Day**) घोषित किये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय आवश्यकता एवं स्वविवेकानुसार आदेश निर्गत करें।

3. अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र मे होने वाले उप निर्वाचन-2020 हेतु नियत मतदान दिवस 03.11.2020 को मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व तथा मतगणना दिवस 10.11.2020 को उक्त राज्य की भौगोलिक सीमा से लगे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अपने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में आबकारी दुकानों की बन्दी एवं मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबन्धित/नियंत्रित करने हेतु संगत नियमावली एवं लाइसेंस शर्तों के अधीन मद्य निषेध लागू करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं अवैध मदिरा की तस्करी पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या:90/2020/2172(1) ई-2/तेरह-2020तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.।
(4) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नयी दिल्ली।
(5) अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-738/सी.ई.ओ.-2-08/2-2019, दिनांक 09.10.2020 के सम्बन्ध में।
(6) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश।
(7) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश।
(8) मण्डलायुक्त आगरा/झांसी मण्डल।
(9) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
(10) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया अपने स्तर से भी सम्बन्धित मण्डलायुक्त, पुलिस आयुक्त तथा जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।